संख्या- 213/2023/4270/नौ-5-2023/001-171Budget-2013

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 13 सितम्बर, 2023

विषय:- जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यांश के अन्तर्गत आगरा नगर के सीवरेज योजना फेज-1 पार्ट-1(सेन्ट्रल एवं ताजगंज जोन) के कार्य हेतु द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की लागत रू० 219.6630 करोड़ की स्वीकृति के संबंध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (नागर), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्र संख्या-27/नागर-2/033-JNNURM/23, दिनांक 03-05-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यांश के अन्तर्गत आगरा नगर के सीवरेज योजना फेज-1 पार्ट-1(सेन्ट्रल एवं ताजगंज जोन) के कार्य हेतु द्वितीय पुनरीक्षित लागत **रू० 219.6630 करोड़** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष अंतिम किश्त के रूप में धनराशि **रूपये 1.67 करोड़ (रूपये एक करोड़ सड़सठ लाख मात्र)** अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 जल निगम तथा विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखी जायेगी।

(2) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखा जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(7) निष्प्रयोज्य/ होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.03.2021 की शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

(12) कार्य की गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार कार्य का उत्तरदायित्व प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ का होगा।

(13) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या,- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,67,00,000 (रुपये एक करोड़ सड़सठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217051918902 जे.एन.एन.यू.आर.एम. की योजनाओं हेतु सहायता **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या–E-9-165-X-2023-24- दिनांक:13-09-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
13.09.2023

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-213/2023/4270/नौ-5-2023/001-171Budget-2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, आगरा।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
5- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- नगर आयुक्त , नगर निगम, आगरा, उत्तर प्रदेश।
9- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, लखनऊ।
10- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
13.09.2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-13/09/2023

प्रेषण संख्या:- 213
आवंटन आदेश संख्या:- 001-213-2023-4270-9-5-2023-001-171B-2013
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - अन्य शहरी विकास योजनाये
191 - नगर निगमों को सहायता
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश
02 - जे.एन.एन.यू.आर.एम. की योजनाओं हेतु सहायता

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	16700000	16700000
		प्रगामी	16700000	16700000
	योग	वर्तमान	16700000	16700000
		प्रगामी	16700000	16700000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ सरसठ लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ सरसठ लाख

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव